संख्या-74/2015/1689/5-1-2015-5(75)/2015

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2015**

विषयः प्रदेश के चिकित्सालयों/ट्रामा सेंटर/ब्लड बैंक्स में सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ''उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर को उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि हेतु ''मैनपावर'' उपलब्ध कराये जाने हेतु ''मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेन्सी'' नामित किये जाने'' विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1753/18-1-14 -09(नि0)/2014, दिनांक 27.10.2014 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के माध्यम से उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर को विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागो/सार्वजनिक निगम/उपक्रम/स्वास्थ्य सेवायें/शिक्षा सेवायें/सुरक्षा सेवायें/परिवहन सेवायें/पंचायती प्रशासनिक संस्थाएं/केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर चलायी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं आदि हेतु यथाआवश्यकता प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के तकनीकी/गैर तकनीकी, अस्थायी कर्मचारियों/श्रम शक्ति तथा प्रदेश के अन्दर कार्यरत विभिन्न संस्थानों को सुरक्षा सेवाओं हेतु प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/आर्मस सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने हेतु कतिपय शर्तों के अधीन ''मैनपावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी'' नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कई जनपदों में आउटसोर्सिंग एजेन्सी है ही नहीं और जहां कही हैं भी वहां उन एजेन्सियों का रजिस्ट्रेशन प्राविडेंट फण्ड कमीश्नर के यहां नहीं है। साथ ही सर्विस टैक्स के लिये भी इन्होने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अतः इन कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 नहीं कट रहा है और कहीं कट रहा है तो वह जमा नहीं हो रहा है। ई0पी0एफ0 का न काटना तथा सर्विस टैक्स न देना आदि गंभीर कृत्य है।

3- अतः वर्णित स्थिति में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1 के उक्त शासनादेश दिनांक 27.10.2014 के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा अधिकृत किये गये दो वेण्डरों यथा मे0 अवनी परिधि एनर्जी एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा0 लि0 एवं मे0 रामा इन्फोटेक प्रा0लि0 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार चिकित्सालयों/ट्रामा सेंटर/ब्लड बैंक्स में 03 वर्ष या नया शासनादेश होने तक, जो भी बाद में हो, के लिये इस शर्त के अधीन आउटसोर्सिंग/ संविदा के माध्यम से ''मैनपावर'' उपलब्ध कराने का कार्य दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि चिकित्सा संस्थान/ट्रामा सेंटर/ब्लड बैंक्स, जहां का कार्य उन्हें दिया जा रहा है, में आउट सोर्सिंग/संविदा से यदि 10 या उससे अधिक संख्या के कार्मिक लिये जा रहे हों, तो उन्हें 7.5 प्रतिशत (साढ़े सात प्रतिशत) कमीशन तथा यदि

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्थान में आउट सोर्सिंग से 10 से कम कार्मिक लिये जा रहे हों तो उन्हें 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) का कमीशन देय होगा:-

क्र0सं0	वेण्डर का नाम	दिये जाने वाले कार्यों का विवरण
1	**मे0 अवनी परिधि एनर्जी एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा0 लि0 इम्पैनल्ड वेन्डर, उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम, 110 औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर।**	नवनिर्मित 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय- (1) छिबरामऊ, कन्नौज, (2) कुमारगंज फैजाबाद (3) डिवाई बुलन्दशहर (4) अतरौली, अलीगढ़ (5) क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर (6) दर्शनगर, फैजाबाद (7) संयुक्त चिकित्सालय, औरैया वर्तमान में संचालित सी0एच0सी0/जिला/ संयुक्त चिकित्सालय/मण्डलीय चिकित्सालय में प्रचलित वर्तमान अनुबंध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त तथा भविष्य में निर्मित होने वाले जिला/संयुक्त चिकित्सालय/ सी0एच0सी0। 2- प्रदेश में नवनिर्मित 07 ट्रामा सेंटरों यथा जनपद सहारनपुर, गाजियाबाद, डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, चिकित्सालय, वाराणसी, जौनपुर, कन्नौज व बांदा तथा भविष्य में निर्मित होने वाले ट्रामा सेंटर।
	मे0 रामा इन्फोटेक प्रा0लि0 इम्पैनल्ड वेन्डर, उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम, 110 औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर।	प्रदेश के 75 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्थापित ब्लड बैंक्स के सम्बन्ध में।

4- वर्तमान में संचालित सी0एच0सी0/जिला/संयुक्त चिकित्सालय/मण्डलीय चिकित्सालयों/ब्लड बैंक्स में प्रचलित वर्तमान आउटसोर्सिंग/संविदा अनुबंध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा बल्कि इस शासनादेश के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- सेवा प्रदाता एजेन्सी एवं सम्बन्धित चिकित्सालय/ट्रामा सेन्टर/ब्लड बैंक के मध्य कम से कम रू0 100.00 के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध किया जायेगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी से किये जाने वाला अनुबंध प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कालेज, कानपुर एवं अवनी परिधि एनर्जी एण्ड कम्यूनीकेशन प्रा0लि0 अधिकृत इम्पैनल्ड वेन्डर, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, 110 औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर के मध्य निष्पादित अनुबंध दिनांक 30.11.2015 में वर्णित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुविधा के लिये उक्त अनुबंध की छायाप्रति, जिसमें कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय समस्त करों सहित (समय-समय पर परिवर्तनीय) एवं सेवा शर्तें आदि का उल्लेख है एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आगणन सीट संलग्न है। सेवा प्रदाता एजेन्सी एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के मध्य विवाद की स्थिति में प्रकरण जनपद के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को संदर्भित किया जायेगा, जिनका निर्णय दोनो पक्षों द्वारा स्वीकार किया जायेगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वांछित अर्हता के ही कार्मिक तैनात हों एवं अपेक्षित कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं निष्ठा के साथ सम्पादित हो और सभी कर्मचारियों को मानदेय समय से मिल जाय तथा वैधानिक देनदारियां समय से जमा कर दिये जायें। सेवा प्रदाता एजेंसी को देय कमीशन का भुगतान आगणन एक कार्यादेश के आधार पर किया जायेगा।

6- उक्त आदेश इस शर्त के भी अधीन है कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की सेवा संतोषजनक नही होने की पुष्टि होने पर शासन द्वारा संबंधित चिकित्सालय/ट्रामा सेन्टर/ब्लड बैंक को प्रचलित अनुबंध को समाप्त किये जाने के आदेश दिये जा सकते हैं।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(**अरविन्द नारायण मिश्र**)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- उप मुख्य प्रबंधक (मैनपावर) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 110 औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर के पत्र दिनांक 14.10.2015, 20.10.2015, 02.11.2015, 20.11.2015 एवं 09.12.2015 के क्रम में।
3- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, चिकित्सा (उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8- समस्त प्रमुख अधीक्षक/मुख्य अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, मण्डलीय चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ट्रामा सेंटर/ब्लड बैंक उ0प्र0।
9- चिकित्सा अनुभाग-6/4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**ए0पी0 सिंह**)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in